मु.नं.–25 / 2020 GCMS ID-2020/00054 ता.रजु–04.08.2020

(2)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेश कश्यप, (आर.टी.आई. कार्यकर्ता) पता किशन नगर, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, हिण्डौनसिटी, तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी, जिला करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–22.09.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 की तैयारी में व्यस्तता के कारण अपील का निस्तारण किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2020, 26.08.2020, 31.08.2020, 08.09.2020, 14.09. 2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2020 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी में प्रेषित प्रार्थना पत्र (टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, जूपिटर स्कूल वाली गली भगवती नगर हिण्डौन सिटी में 3 माह से नलों में पानी नहीं आने बाबत् शिकायत पत्र) पर की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–न्याय / 2020 / 3019 दिनांक 14.08.2020 से अवगत करवाया है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2020 बाबत् टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, जूपिटर वाली गली, भगवती नगर हिण्डौन सिटी में 3 माह से नलों में पानी नहीं आने के क्रम में उनके कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ है। तथापि पत्रांक–न्याय / 2020 / 3256 दिनांक 10.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील के साथ प्रेषित आवेदन पत्र एवं शिकायत पत्र की प्रति प्राप्त होने पर पत्रांक 3185–86 दिनांक 04.09.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना प्रेषित कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली